çkDdFku

31 मार्च 2018 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2013–18 की अवधि में 'उत्तर प्रदेश में चिकित्सालय प्रबन्धन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।